No. CDN-27011/2/2019-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 14.01.2019

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of December, 2019 is enclosed for information.

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23381349

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. All Secretaries to the Govt. of India
3. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
4. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
5. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF DECEMBER, 2019

1. Notifications:-

(i) The Ministry has amended the earlier notification published vide no. S.O. 1796 (E) dated 18.05.2016 and amended the jurisdiction of Courts of Additional Sessions Judges Anti-corruption, Jammu and Srinagar to Union territory of Jammu and Kashmir. (Notification No. S.O. 4569 (E), dated 19.12.2019).

(ii) The Ministry vide notification no. S.O. 4570(E) dated 19.12.2019 has designated the Special Courts in the State of Uttarakhand and Union territories of Jammu & Kashmir and Ladakh for speedy trial of offences mentioned under section 435(2)(a) and (b) of the Companies Act, 2013. (Notification No. S.O. 4570 (E), dated 19.12.2019).

2. CIRCULARS:-

(i) Through the General Circular No. 17/2019 dated 30.12.2019, the Ministry has extended the last date of filing of CRA-4 (cost audit report) for all eligible companies for the financial year 2018-19, without payment of additional fees till 29.02.2020. (General Circular No.17/2019 dated 30.12.2019).

3. DECRIMINALIZING THE OFFENCES UNDER THE COMPANIES ACT, 2013:-

In line with the Government's objective of promoting Ease of Living in the Country by providing Ease of Doing Business to law abiding corporate, fostering improved corporate compliance for stakeholders at large and also to address emerging issues having impact on the working of corporate in the country, a Company law Committee was constituted by M/o Corporate Affairs vide order dated 18.09.2019 for examining and making recommendations to the Government on such matters. The Committee examined various issues under the Companies Act, 2013 (CA-13) and submitted its report to the Hon'ble Corporate Affairs Minister on 18.11.2019. The recommendations of the Committee, inter alia, include modifications w.r.t. decriminalising more compoundable offences under the CA-13.

The Committee has also made important recommendation to include the provisions of Part IXA (Producer Companies) of the Companies Act, 1956 in the Companies Act, 2013 so that present gap in the Companies Act, 2013 is plugged and measures for promotion of farmer producer companies could be taken more effectively. The committee has also suggested other measures for providing ease of compliance to one person companies, start-ups, small companies and farmer producer companies.

4. The Government is taking necessary action for amending the Companies Act, 2013 to implement the aforesaid recommendations. The Cabinet Note proposing amendments in the Companies Act, 2013 for this purpose has been forwarded to the Cabinet Secretariat on 10.12.2019.

5. The Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Ordinance, 2019 was promulgated on 28.12.2019.

6. Centre for Business and Human Rights, IICA has organized a Pan-India series National Workshop on Responsible Business Conduct in Bhubaneswar, Delhi, Mumbai, Bangalore, and Chennai with more than 100 participants representing businesses, academic experts, business chambers, international and regional organizations. The workshop was centered around newly developed guidelines called the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC) released by the MCA, together with IICA, in March of 2019.

7. Centre for MSME, IICA has successfully conducted 9th edition of National Capacity Building Programme on "Procurement (Procedures based on General Financial Rules (GFR), Tenders, Bids) and Contract Management: Challenges in Implementation" on 3 - 6 December, 2019 at Goa. Centre for MSME, IICA has also successfully conducted organisation specific (JNPT) customised Capacity Building Programme on "Procurement (Procedures based on General Financial Rules (GFR), Tenders, Bids) and Contract Management: Challenges in Implementation" on 10 -13 December, 2019 at JNPT, Uran, Maharashtra exclusively for the employees of JNPT.

8. Centre for MSME, IICA in partnership with GIZ GmbH has successfully conducted the first series of the three day National Capacity Building Program for "BMO Managers on Innovation Promotion in MSMEs" during 17-19 December, 2019 at IICA Campus, IMT

Manesar, Gurugram. Also, IICA has designed and developed one week training program on Governing Corporate Affairs which was organized from 23 December to 27 December 2019 at IICA Campus, Manesar for the officer trainees of IES Batch 2018 with a view to provide vital Inputs on Corporate Affairs, Corporate Governance, Competition Law, Finance and Insolvency Law etc.

9. School of Finance, IICA has successfully conducted Three Training of Trainers (ToTs) programme for the shortlisted Resource Persons (RPs) during the month of December in Lucknow, Bhopal, and Udaipur. The programmes were attended by more than 90 participants comprising of RPs from SEBI, ICAI, ICSI, retired bankers, SHGs, academicians and working and non-working women.

10. IICA has entered into EOLA with Sectoral organization namely IIM- Ahmedabad, IMT-Ghaziabad and IPE-Hyderabad for the capacity building of Independent Directors.

11. In the 34th BoG meeting of IICA held on 13.12.2019 at Manesar, various developmental activities of IICA was reviewed.

12. MCA & IICA e-launched the Independent Directors databank on 2nd December, 2019 in accordance with the provisions of section 150 of the Companies Act, 2013. The databank aims to strengthen the institution of Independent Directors, create a pool of skilled professionals and build and ecosystem of serving the existing independent directors, aspiring professionals & the companies.

सं.सीडीएन-27011/2/2019-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
तारीखः 14.01.2020

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिसंबर, 2019 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(हेमंत वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23381349

सेवा में

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत सरकार के सभी सचिव
3. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
5. निदेशक (एनआईसी)- कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

<u>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</u>

दिसंबर, 2019 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

1. अधिसूचनाएं:-

(i) मंत्रालय ने दिनांक 18.05.2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.1796(अ) द्वारा प्रकाशित पूर्ववर्ती अधिसूचना को संशोधित किया और भ्रष्टाचार रोधी अपर सेशन जज के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को संशोधित कर जम्मू और कश्मीर से जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र किया। (अधिसूचना संख्या का.आ.4569(अ), दिनांक 19.12.2019)।

(ii) मंत्रालय ने दिनांक 19.12.2019 की अधिसूचना संख्या का.आ.4570(अ) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435(2)(क) और (ख) के तहत उल्लिखित अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए उत्तराखण्ड राज्य और जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष न्यायालय पदनामित किए। (अधिसूचना संख्या का.आ.4570(अ), दिनांक 19.12.2019)।

2. परिपत्र

(i) दिनांक 30.12.2019 के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2019 द्वारा, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सभी पात्र कंपनियों के लिए बिना अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के सीआरए-4 (लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट) फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 29.02.2020 की है। (सामान्य परिपत्र संख्या 17/2019, दिनांक 30.12.2019)।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपराधों को दंडमुक्त करना:-

कानून का पालन करने वाले कारपोरेटों के लिए ईज ऑफ डुईंग बिजनेस उपलब्ध करवाने के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने, अधिक संख्या में हितधारकों के लिए कारपोरेट अनुपालन बढ़ाने और देश में कारपोरेटों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले नए मामलों को दूर करने के सरकार के उद्देश्य के अनुकरण में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.09.2019 के आदेश माध्यम से ऐसे मामलों पर सरकार की सिफारिशों की जांच करने और अनुशंसा करने के लिए एक कारपोरेट विधि समिति का गठन किया गया था। इस समिति में कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) के तहत विभिन्न मामलों की जांच की और दिनांक 18.11.2019 को माननीया कारपोरेट कार्य मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रशमनीय अपराधों को दंडमुक्त करने के संबंध में संशोधन भी शामिल हैं।

समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग-IXक (उत्पादक कंपनी) के प्रावधानों को शामिल करने की महत्वपूर्ण सिफारिश भी की गई है ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 में

मौजूद अंतर को दूर किया जा सके और किसान उत्पादक कंपनी के प्रवर्तन के लिए अधिक प्रभावी ढंग से उपाय किए जा सके। समिति ने एकल व्यक्ति कंपनियों, स्टार्ट-अप, छोटी कंपनियों और किसान उत्पादक कंपनियों के लिए अनुपालन में आसानी करने हेतु अन्य उपायों का सुझाव भी दिया।

4. सरकार उपर्युक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रही है। इस उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधनों का प्रस्ताव रखने वाला मंत्रिमंडल नोट दिनांक 10.12.2019 को मंत्रिमंडल सचिवालय को अग्रेषित किया गया है।

5. दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 दिनांक 28.12.2019 को प्रख्यापित किया गया था।

6. सेंटर फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, आईआईसीए ने भुवनेश्वर, दिल्ली, मुम्बई, बैगलौर और चेन्नई में उत्तरदायी व्यवसायिक व्यवहार पर पैन-इंडिया श्रृंखला की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जिसमें व्यवसांय, शैक्षिक विशेषज्ञ, व्यवसायिक चैम्बर, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। यह कार्यशाला कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आईआईसीए के साथ मिलकर मार्च, 2019 में जारी किए गए नए विकसित दिशा-निदेशों अर्थात् उत्तरदायी व्यवसायी व्यवहार संबंधी दिशा-निदेशों (एनजीआरबीसी) पर केंद्रित थी।

7. सेंटर फॉर एमएसएमई, आईआईसीए ने दिनांक 03-06 दिसंबर, 2019 के दौरान गोवा में "प्रबंध (सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), निविदा, निलामी पर आधारित प्रक्रियाएं) और संविदा प्रबंधन: कार्यान्वयन में चुनौतियां" विषय पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नौवां संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। सेंटर फॉर एमएसएमई, आईआईसीए ने दिनांक 10-13 दिसंबर, 2019 के दौरान जेएनपीटी, उड़ान, महाराष्ट्र में विशेष रूप से जेएनपीटी के कर्मचारियों के लिए प्रबंध (सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), निविदा, निलामी पर आधारित प्रक्रियाएं) और संविदा प्रबंधन: कार्यान्वयन में चुनौतियां" विषय पर संगठन विशिष्ट (जेएनपीटी) निर्मित क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक आयोजित किया।

8. सेंटर फॉर एमएसएमई, आईआईसीए ने जीआईजेड जीएमबीएच की भागीदारी में दिनांक 17-19 दिसंबर, 2019 के दौरान आईआईसीए परिसर, आईएमटी, मानेसर, गुरूग्राम में "एमएसएमई में नवाचार प्रवर्तन पर बीएमओ प्रबंधकों" के लिए तीन दिवसीय राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की पहली श्रृंखला का आयोजन सफलतापूर्वक किया। इसके अतिरिक्त, आईआईसीए ने गवर्निंग कारपोरेट मामलों पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार और विकसित किया जो कारपोरेट मामलों, कारपोरेट गवर्नेंस, प्रतिस्पर्धा विधि, वित्त और दिवाला विधि आदि पर विस्तृत इनपुट उपलब्ध कराने की दृष्टि से आईईएस बैच 2018 के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए दिनांक 23 दिसंबर से 27 दिसंबर, 2019 के दौरान आईआईसीए परिसर, मानेसर में आयोजित किया गया था।

9. स्कूल ऑफ फाइनेंस, आईआईसीए ने दिसंबर माह के दौरान लखनऊ, भोपाल और उदयपुर में चयनित स्रौत व्यक्तियों (आरपी) के लिए तीन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में सेबी, आईसीएआई, आईसीएसआई, सेवानिवृत बैंक कर्मचारियों, एसएचजी, शिक्षाविदों और नौकरी-पेशा महिलाओं और घरेलू महिलाओं सहित 90 से अधिक भागीदार उपस्थित हुए थे।

10. आईआईसीए स्वतंत्र निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए आईआईएम-अहमदाबाद,आईएमटी-गाजियाबाद और आईपीई-हैदराबाद नामक क्षेत्रीय संगठनों के साथ ईओएलए पर हस्ताक्षर किए।

11. दिनांक 13.12.2019 को मानेसर में आयोजित आईआईसीए की 34वीं बीओजी बैठक में आईआईसीए के विभिन्न विकासात्मक कार्याकलापों की पुनरीक्षा की गई थी।

12. एमसीए और आईआईसीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 के प्रावधानों के अनुकरण में दिनांक 02 दिसंबर, 2019 को स्वतंत्र निदेशकों का डाटाबैंक का ई-लोकार्पण किया। इस डाटाबैंक का उद्देश्य स्वतंत्र निदेशकों के संगठन को सुदृढ़ करना, कुशल व्यवसायिकों का पूल तैयार करने और मौजूद स्वतंत्र निदेशकों, इच्छुक व्यवसायिकों और कंपनियों की सहायता करना और पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।